

# कृषि प्रभाग

## राज्य योजना (चालू योजना)

**1. बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना** - राज्य में अच्छी गुणवत्ता के प्रमाणित/संकर/परंपरागत/ TL बीज से विभिन्न फसलों (नगद फसलों, हरित खाद फसलों एवं चारा फसलों सहित) के आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह योजना चलायी जा रही है। इस योजना के तहत बीज उत्पादन, बीज वितरण तथा प्रत्यक्षण से संबंधित कार्य किया जाएगा, जो निम्न प्रकार है -

**बीज उत्पादन** - बीज उत्पादन में राज्य को स्वावलंबी बनाने हेतु बीज उत्पादन एवं प्रसंस्करण संबंधी कार्य राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों में किया जाएगा। इस क्रम में राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु प्रक्षेत्र में फेंसिंग, धर्म कांटा, गोदाम, भवन, पहुँच पथ आदि का निर्माण, उपकरण का क्रय, बीज प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना एवं आवश्यकतानुसार अन्य सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्य किया जाएगा। साथ ही उक्त स्थल पर प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण की योजना के तहत बीज परिक्षण प्रयोगशाला का भी निर्माण किया जाएगा।

**बीज वितरण** - इसके तहत राज्य के किसानों को खरीफ एवं रबी मौसम विभिन्न प्रभेद के 5 वर्षों से अधिक आयु वाले प्रमाणित बीज/संकर बीज/परंपरागत बीज/ TL बीज का वितरण 50 प्रतिशत अनुदान पर लैम्पस/पैक्स/प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी खुदरा विक्रेता/FPOs/SHG के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही शत प्रतिशत अनुदान पर वैसे बीजों का वितरण किया जाएगा जिसकी आयु 5 वर्षों से कम हो तथा झारखण्ड में पूर्व के प्रभेदों से अच्छा उत्पादकता का प्रदर्शन हो। 05 वर्षों की गणना प्रभेद के Notification year के 03 साल बाद से की जाएगी। योजना अन्तर्गत आवश्यकतानुसार तथा जिलों से प्राप्त अधियाचना एवं बीज आआपूर्तिकर्ताओं के पास बीज की उपलब्धता के आधार पर कृषि निदेशक द्वारा जिलावार/ फसलवार लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा।

**प्रत्यक्षण** - इस योजना के तहत राज्य में विभिन्न फसलों तथा INM, IPM का वितरण निदेशालय स्तर पर स्थापित Robust Platform, Blockchain Technology के माध्यम से आवश्यकतानुसार शत प्रतिशत अनुदान पर किया जाएगा। इस वितरण प्रणाली में आवश्यकतानुसार कार्यों को समाहित करते हुए इसे सशक्त एवं बीज श्रृंखला को जोड़े जाने का कार्य किया जाएगा। INM/IPM उपादान के आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता का चयन निविदा के माध्यम से आपूर्तिकर्ता संस्थानों को सूचीबद्ध करते हुए अथवा दर अनुबंध (rate contract) पर किया जाएगा।

निदेशालय अथवा झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड को विभाग द्वारा संचालित सभी राज्य योजनाओं एवं केन्द्र योजना में फसलों के बीज की उपलब्धता एवं वितरण जिलों में अनुज्ञप्तिधारी निजी बीज विक्रेताओं/एफ.पी.ओ./लैम्पस एवं पैक्स/महिला समूह के माध्यम से करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा संबंधित विक्रेताओं के माध्यम से किसानों को बीज की उपलब्धता बिक्री अनुदान कीराशि घटाकर उपलब्ध करायी जाएगी।

पारदर्शिता हेतु किसानों को बीज Blockchain के माध्यम से OTP /आधार |Authentication के माध्यम से किसानों की पहचान कर बीज बिक्री/उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

**प्रशासनिक मद-** प्रशासनिक मद (2.5) से Seed Distribution Platform/Portal, PMU का गठन एवं Seed Planning Cell का भुगतान किया जा सकेगा।

**बीज से संबंधित न्यायालय से आच्छादित मामले एवं पूर्व वर्षों के लंबित दायित्व का भुगतान भी इस मद से किया जा सकेगा।**  
**बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना हेतु कुल रू. 14500.00 लाख का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।**

**2. कृषि मेला, कार्यशाला, प्रदर्शनी, प्रशिक्षण, भ्रमण, प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं प्रचार-प्रसार की योजना -** कृषि उत्पादन में प्रशिक्षण एवं कृषि प्रचार-प्रसार की अहम भूमिका होती है। कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों की जानकारी हेतु कृषकों/ पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए सघन रूप से राज्य के अन्दर/बाहर एवं अंतराष्ट्रीय भ्रमण एवं प्रशिक्षण के साथ ही राज्य के किसानों के लिए कृषि मेला, कार्यशाला एवं नए-नए कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी एवं कृषकों/पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार प्रदान करना योजना का मुख्य उद्देश्य है।

इस योजनान्तर्गत राज्य स्तर/प्रमण्डल स्तर/जिला स्तर/प्रखण्ड स्तर/पंचायत स्तर पर विभिन्न मेलों/ कृषि महोत्सवों/कृषि रथ/रात्रि चैपाल/कार्यशाला (चिंतन कार्यशाला/अनुभव साझा कार्यशाला, संवाद कार्यशाला) का आयोजन किया जाता है, ताकि कृषकों/पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को कृषि प्रक्षेत्रों में विकसित नवीनतम कृषि तकनीकों, अवधारणाओं, पद्धतियों आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के संचालन, पोर्टल निर्माण एवं पोर्टल के रखरखाव पर भी इस योजना से व्यय किया जाना है।

इस योजनान्तर्गत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु Content Development एवं प्रिंटिंग हेतु आवश्यकतानुसार PMU/Agency का चयन निविदा के माध्यम से आपूर्तिकर्ता संस्थानों को चयनित/सूचीबद्ध करते हुए अथवा दर अनुबंध (rate contract) पर किया जा सकेगा। इससे संबंधित न्यायालय से आच्छादित मामले एवं विगत वर्ष के लंबित दायित्व का भुगतान भी किया जा सकेगा। इस हेतु **वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित बजटीय उपबंध रू. 2500.00 लाख है।**

**3. कृषि प्रभाग अन्तर्गत विभिन्न निगमों, एजेंसियों एवं मिशन को सहाय्य अनुदान -** कृषि प्रभाग के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड, समेति, जे.एम.टी.टी.सी., जैसमीन, ओफाज, बीज प्रमाणन एजेंसी इत्यादि के सुचारू रूप से संचालन हेतु सहायता अनुदान दिया जाता है। आगामी वित्तीय वर्ष में झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड -2000.00 लाख, झारखण्ड राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी-500.00 लाख, आत्मा एवं समेति- 1000.00 लाख, जे.एम.टी.टी.सी.-700.00 लाख, जैसमीन-700.00 लाख, ओफाज-500.00 लाख दिया जाना प्रस्तावित है। विगत वर्ष के लंबित दायित्व का भुगतान भी किया जा सकेगा। इस हेतु **वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित बजटीय उपबंध रू. 5400.00 लाख है।**

**4. कृषकों को कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान (Interest Subvention) की योजना-** कृषि प्रक्षेत्र में ससमय सुलभ रूप से साख की उपलब्धता कृषि में अपेक्षित विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। लघु एवं सीमांत कृषकों के परिपेक्ष्य में साख की उपलब्धता और महत्वपूर्ण हो जाती है। उल्लेखनीय है कि बैंक/सहकारी बैंक के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराई जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराये गये अल्पकालीन कृषि ऋण पर ब्याज की वार्षिक दर 7 प्रतिशत है।

वैसे कृषिक जो एक वर्ष के अंदर ससमय कृषि ऋण की वापसी करते हैं, उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा ब्याज पर तीन (03) प्रतिशत की छूट दी जाती है। वर्णित स्थिति में ऐसे कृषकों को अल्पकालीन कृषि ऋण पर ब्याज का अधिभार चार (04) प्रतिशत होता है। ऐसे मामलों में झारखण्ड प्रदेश के कृषकों के व्यापक हितों को दृष्टिपथ रखते हुए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा बैंकों/सहकारी बैंकों से कृषिक को कृषि कार्य हेतु दिये गये अल्पकालीन कृषि ऋण पर कृषि ऋण के भुगतान में शेष चार प्रतिशत का Interest Subvention की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। Interest Subvention लागू होने पर कृषकों को शत प्रतिशत छूट के साथ ऋण भार होगा। **इस हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित बजटीय उपबंध रू. 599.00 लाख है।**

**5. आधारभूत संरचनाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण तथा ग्रामीण कृषि हाट के निर्माण की योजना-** आधारभूत संरचनाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण तथा ग्रामीण कृषि हाट के निर्माण की योजना अन्तर्गत सरकारी कार्यालय भवनों /आवासीय भवनों का निर्माण/जीर्णोद्धार, प्रशिक्षण हॉल, सभागार आदि का निर्माण/जीर्णोद्धार, कार्यालय/आवासीय क्षेत्र के चारदीवारी, पी.सी.सी. पहुँच पथ का निर्माण/जीर्णोद्धार एवं ग्रामीण कृषि हाटों में शेड, प्लेटफार्म, पी.सी.सी. पहुँच पथ, शौचालय, चापाकल एवं कम्पोजीट पीट आदि का निर्माण/जीर्णोद्धार किया जाना है। साथ ही न्यायालय से आच्छादित मामले एवं विगत वर्ष के लंबित दायित्व का भुगतान भी किया जा सकेगा। **इस हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल प्रस्तावित बजटीय उपबंध रू. 6000.00 लाख है।**

**6. झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना -** कृषि ऋण माफी योजना का उद्देश्य झारखण्ड राज्य के अल्पावधि कृषि ऋण धारक कृषक को ऋण के बोझ से राहत देना है। योजना के प्रस्ताव के प्रमुख उद्देश्य फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार लाना, नए फसल ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करना, कृषक समुदाय के पलायन को रोकना तथा कृषक अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऋण माफी की सीमा 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये) से बढ़ाकर 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये) किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में छद्म खाता धारक किसानों को भी इस योजना के तहत शामिल करने का प्रस्ताव है। चूंकि उपरोक्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाना है। **अतः इस हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में टोकन बजट के रूप में प्रस्तावित बजटीय उपबंध रू. 1.00 लाख रखा गया है।**

**7. नकदी फसल विकास एवं विस्तार योजना -** यह योजना पूर्व में गन्ना विकास योजना के नाम से संचालित की जाती थी, जिसका नाम वित्तीय वर्ष 2026-27 में परिवर्तित किया गया है। इस योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य में गन्ना, जूट सहित अन्य नकदी फसलों का क्षेत्र विस्तार एवं Processing को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से उन्नत बीज, गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री, फसल-विशिष्ट INM/IPM/ Retting Material तथा Processing उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। गन्ना/जूट एवं अन्य नकदी फसलों की उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाकर कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से कृषकों के निजी भूमि पर नकदी फसल विकास की योजना प्रस्तावित है। **इस हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित बजटीय उपबंध रू. 1987.89 लाख है।**

**8. समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला-** समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला योजनान्तर्गत 05 वर्षों में चरणबद्ध रूप से कुल 100 कृषक पाठशाला पर क्रियान्वयन किया जाना है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 17, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 26, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 12 कृषक पाठशाला चलाये जाने हेतु कार्य प्रगति पर है तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत शेष 31 कृषक पाठशालाओं के क्रियान्वयन हेतु योजना का अवधि विस्तार एक वर्ष हेतु किया जाएगा। चूंकि पूर्व से स्वीकृत योजनाएँ समानान्तर रूप से संचालित है। अतः वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु तथा वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में स्वीकृत पाठशालाओं के दायित्व (liability) निर्वाहन हेतु **वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रू. 7000.00 लाख का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।**

**9. एग्री स्मार्ट ग्राम-** एग्री स्मार्ट ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य झारखण्ड राज्य में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में उन्नत तकनीकियों का समावेश सुधार एवं अभिशरण के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना कर आजीविका को सुदृढ़ करना है।

पूर्व में कुल 101 एग्री स्मार्ट ग्राम के विरुद्ध 91 एग्री स्मार्ट ग्राम को चिह्नित किया गया है। उक्त 91 एग्री स्मार्ट ग्राम में विभागीय एवं अन्य सरकारी योजनाओं के अभिसरण (Convergence) से संबंधित कार्य किये गये हैं। इस योजना में **टोकन बजट के रूप में प्रस्तावित बजटीय उपबंध रू. 1.00 लाख रखा गया है।**

**10. किसान समृद्धि योजना-** कृषि समृद्धि योजना झारखण्ड सरकार की एक महत्वाकांक्षी राज्य योजना है जो कृषि में सिंचाई के लिए उपयोग में लाये जा रहे जीवाश्म ईंधन आधारित उर्जा स्रोत के स्थान पर सौर उर्जा चालित सिंचाई इकाईयों की स्थापना को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादन लागत को कम करके झारखण्ड के कृषि उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनायेगी तथा किसानों की आमदनी को बढ़ाने में मदद करेगी। इस योजनान्तर्गत 5HP, 2HP, hand held <1 HP के सौर पम्पिंग इकाई एवं अन्य Configuration वाले किया जा सकेगा। इससे संबंधित न्यायालय से आच्छादित मामले एवं विगत वर्ष के लंबित दायित्व का भुगतान भी किया जा सकेगा। इस योजना के तहत वितरित किए जाने वाले सौर पम्पिंग इकाई का उपयोग आवश्यकता अनुसार सभी तरह के जलस्रोतों से सिंचाई जल उठाने के लिये किया जा सकता है। इसके साथ ही सिंचाई की आवश्यकता नहीं होने पर सौर सिस्टम से उत्पादित बिजली का उपयोग घरेलू तथा कृषि संबंधी उपकरणों को चलाने में किया जा सकता है। जैसे श्रेसर, विनोवर, आटा चक्की, धान कुटाई यंत्र, मसाला पिसाई यंत्र इत्यादि। **इस हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित बजटीय उपबंध रू. 7500.00 लाख है।**

**11. फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना-** योजना का मुख्य उद्देश्य, झारखण्ड राज्य में कृषि के क्षेत्र में आवश्यक उन्नत तकनीकों यथा कीटनाशकों/उर्वरकों का सटीक छिड़काव, फसल निगरानी एवं क्षति आकलन हेतु ड्रोन का प्रयोग, बीजोपचार, जैविक कीटनाशियों तथा जैविक खेती के प्रति किसानों विशेषकर महिला कृषकों में जागरूकता लाना, पदाधिकारी/कर्मचारी, कीटनाशी विक्रेताओं एवं किसानों को जैविक एवं रासायनिक कीटनाशियों का समुचित प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण (online/offline) देना, लीफलेट, पम्पलेट एवं कृषि चैपाल के माध्यम से यथोचित उन्नत तकनीकों से किसानों को अवगत कराना, जैविक एवं रासायनिक कीटनाशियों की उचित गुणवत्ता सुनिश्चित कराना तथा जैविक एवं रासायनिक कीटनाशियों के अन्धाधुन्ध प्रयोग से हो रहे दुष्प्रभाव से उनके स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। पौधा संरक्षण में जैविक एवं रासायनिक कीटनाशियों, यंत्रों एवं उपकरणों इत्यादि के प्रयोग से दक्षता बढ़ाना तथा कटाई पश्चात् भंडारित अन्न की कीट-रोगों से सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजनान्तर्गत पौधा संरक्षण केन्द्रों का निर्माण/जीर्णोद्धार भी किया जाना है।

योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक आधुनिक उपस्कर/उपकरण एवं ड्रोन इत्यादि के क्रय/किराये पर लेने एवं प्रचार-प्रसार, Content Development एवं प्रिंटिंग हेतु आवश्यकतानुसार PMU/Agency का चयन निर्धारित नियमावली/SOP के अनुरूप किया जाएगा। INM/IPM उपादान के अन्तर्गत किए गए निविदा के माध्यम से चयनित अपूर्तिकर्ताओं द्वारा INM/IPM आपूर्ति की जा सकेगी। विगत वर्ष के लंबित दायित्व का भुगतान भी किया जा सकेगा। **इस हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित बजटीय उपबंध रू. 1500.00 लाख है।**

**12. झारखण्ड राज्य मिलेट मिशन -** झारखण्ड राज्य में मिलेट फसलों (महुआ, ज्वार आदी) की अपार संभावनाएँ हैं। मिलेट फसलों की महत्ता को समाहित करते हुए जिलों में किसान गोष्ठी, मेला, किसान वैज्ञानिक अन्तर मिलन, परिभ्रमण, परिक्षण, मिलेट फसलों का प्रत्यक्षण एवं बीज वितरण, Incentive to Millets Farmers तथा Millet Processing Unit, Cafeteria आदि का स्थापना किया जाना है। विगत वर्ष के लंबित दायित्व का भुगतान भी किया जा सकेगा। **इस हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित बजटीय उपबंध रू. 2500.00 लाख है।**

**13. एफ.पी.ओ. को सहायता अनुदान (Grants to FPOs) -** किसान उत्पादन समूह को मजबूती एवं प्रोत्साहन प्रदान करने एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादक, बेहतर विपणन, प्रौद्योगिकी तक पहुँच बनाने, सक्षम होने के लिए सहाय्य अनुदान प्रदान की जायगी। विगत वर्ष के लंबित दायित्व का भुगतान भी किया जा सकेगा। **इस हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित बजटीय उपबंध रू. 1000.00 लाख है।**

**14. मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की योजना-** इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:-

- **मिट्टी जाँच प्रयोगशाला भुगतान (PPP Mode पर) की योजना-** राज्य में 21 जिलों में निर्मित मिट्टी जाँच प्रयोगशाला भवनों में PPP Mode में मिट्टी जाँच प्रयोगशालाओं के संचालन हेतु योजना का क्रियान्वयन प्रस्तावित है राशि का व्यय मिट्टी नमूना संग्रहण, विश्लेषण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड मुद्रण एवं वितरण के लिए किया जाना है।
- **एग्री क्लीनिक की स्थापना-** झारखण्ड राज्य में प्रत्येक अनुमंडल में एग्री क्लीनिक की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों को मृदा स्वास्थ्य, मौसम पूर्वानुमान, पौधा संरक्षण एवं कृषि से संबद्ध अन्य विशयों पर उचित परामर्श देकर कृषि उत्पादकता, किसानों की उपज एवं उनके आय में वृद्धि करना है।
- **कृषि प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण की योजना-** राज्य के विभिन्न जिलों में आवश्यकतानुसार कृषि प्रयोगशालाओं यथा-मिट्टी जाँच, गुण नियंत्रण (उर्वरक), बीज परीक्षण, कीटनाशी इत्यादि प्रयोगशालाओं के निर्माण/जीर्णोद्धार/सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा सकेगा।
- **कृषि प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यकता अनुसार कार्यालय सामग्री, मशीन एवं उपस्कर इत्यादि का क्रय करने हेतु राशि का प्रावधान किया जाता है।** इस हेतु आपूर्तिकर्ता का चयन निविदा के माध्यम से आपूर्तिकर्ता संस्थानों को चयनित/सूचीबद्ध करते हुए अथवा दर अनुबंध (rate contract) पर किया जा सकेगा।
- **विगत वर्ष के लंबित दायित्व का भुगतान भी इस मद से किया जा सकेगा।**

**मृदा स्वास्थ्य प्रबंध की योजना हेतु कुल रू. 1560.00 लाख का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।**

**15. आई.टी एवं परामर्शी सेवा विभाग एवं कृषि निदेशालय -** विभाग एवं निदेशालय में कार्य कर रहे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आई. टी एवं परामर्शी सेवा की स्थापना का प्रस्ताव है। विगत वर्ष के लंबित दायित्व का भुगतान भी किया जा सकेगा। **इस हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित बजटीय उपबंध रू. 1400.00 लाख है।**

## नई योजना

**1. महिला किसान खुशहाली योजना-** झारखण्ड में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए राज्य

सरकार द्वारा एक नई योजना प्रारम्भ की जा रही है। यह योजना महिला कृषकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति, उनकी आजीविका सुदृढ़ करने तथा कृषि गतिविधियों में उनकी सक्रिय और नेतृत्वकारी भागीदारी को बढ़ावा देने की उद्देश्य से तैयार की गई है।

यह योजना एक नई पहल है और इसे राज्य की महिला किसानों की मदद करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है। इसके लिए उन्हें इलाके के खास इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा, उन्हें टेक्नोलॉजी की मदद दी जाएगी और महिला किसानों के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑर्गनाइजेशन को ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इस स्कीम का मकसद महिला किसानों और उनसे जुड़ी दूसरी चीजों को स्पेशल सब्सिडी रेट पर हर तरह की एग्रीकल्चरल मदद देना है, जो ऑर्गनाइजेशन की जरूरत के हिसाब से 100% तक हो सकती है। **इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रु. 2500.00 लाख का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।**

**2. नकदी फसल विकास एवं विस्तार योजना** - योजनान्तर्गत राज्य में गन्ना, जूट सहित अन्य नकदी फसलों के क्षेत्र का विस्तार एवं प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 1987.89 लाख मात्र का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

## केन्द्र प्रायोजित योजना (चालू योजना)

### 1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना -

**i. DPR Based Component** - राज्य में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत राज्य सरकार के पास अपने आवश्यकतानुसार योजना का सूत्रण एवं क्रियान्वयन करने का प्रावधान है। विगत वर्ष के लंबित दायित्व का भुगतान भी किया जा सकेगा। **वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित बजटीय उपबंध रु. 11666.66 लाख है।**

**ii. Per Drop More Crop (PDMC)** - Per Drop More Crop (PDMC) केन्द्र की एक महत्वपूर्ण योजना है। वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता गैर सिंचित क्षेत्रों में खेती को जोखिम भरा और कम उत्पादक वाला व्यवसाय बनाती है। अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं कि सुनिश्चित अथवा संरक्षित सिंचाई से किसान खेती संबंधी प्रौद्योगिकी और ऐसे खाद्यान्न जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है और खेती से होने वाली आय बढ़ती है, में निवेश बढ़ाने को प्रोत्साहित होते हैं। योजना का वृहद दृष्टिकोण राज्य में सभी कृषि फार्म में संरक्षित सिंचाई की पहुँच को सुनिश्चित करेगा ताकि प्रति बून्द अधिक फसल उत्पादन लिया जा सकेगा और इस प्रकार वांछित ग्रामीण समृद्धता लायी जा सकेगी। इस हेतु सूक्ष्म सिंचाई के Installation हेतु आपूर्तिकर्ता का चयन निविदा के माध्यम से आपूर्तिकर्ता संस्थानों को सूचीबद्ध करते हुए अथवा दर अनुबंध (rate contract) पर किया जा सकेगा। विगत वर्ष के लंबित दायित्व का भुगतान भी किया जा सकेगा।

सूक्ष्म सिंचाई योजना अन्तर्गत बेहतर जल प्रबंधन करते हुए सिंचाई की कुशल तकनीक अपनाकर सिंचित क्षेत्र का विस्तार, जल उपयोग की क्षमता में वृद्धि, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि तथा उर्वरक एवं बिजली का समुचित उपयोग किया जाता है। **वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित बजटीय उपबंध रु. 17045.00 लाख है।**

**iii. National Mission for Sustainable Agriculture (RAD)** - इस योजना का उद्देश्य सतत पोषणीय कृषि विकास है, जिसमें Horticulture Based Farming, Improved Crop Seed Production, Fish Culture, Soil Health Management इत्यादि जैसे कार्य Cluster Based Approach के माध्यम से करायी जाती है।

इसके चार घटक हैं, जिसमें RAD (Rainfed Area Development Program Area) सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसमें Watershed Plus Framework आधारित कार्य करने का प्रस्ताव Operational Guideline में निदेशित है, जिसमें कृषि प्रणाली के सारे घटकों को एकीकृत करते हुए कार्ययोजना बनाना एवं उसको कार्यान्वयन कराना शामिल है। Cluster approach in a village or an area of not less than 20 ha. to be adopted to utilize the potential of available/created common resources. At least 25% area of the cluster shall be taken up for Millets cultivation विगत वर्ष के लंबित दायित्व का भुगतान भी किया जा सकेगा। **वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित बजटीय उपबंध रू. 772.80 लाख है।**

**iv. National Project on Soil Health & Fertility योजना-** यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से वर्ष 2015 से क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य प्रत्येक किसान को उसके खेत में उपलब्ध मिट्टी के पोषक तत्वों की जानकारी देना तथा जैविक खाद, जीवाणु खाद, रसायनिक उर्वरक तथा जैविक मृदा सुधार के संबंध में सलाह देना है, जिसे योजनान्तर्गत स्वायल हेल्थ कार्ड के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही योजना के प्रचार-प्रसार एवं योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण भी प्रस्तावित है। इस योजनान्तर्गत किसानों के बीच आवश्यकतानुसार Micronutrients/Dolomite/Lime/ Biochar का वितरण किया जाएगा। Micronutrients/ Dolomite/Lime/Biochar की आपूर्ति INM/IPM उपादान के अन्तर्गत किए गए निविदा के माध्यम से चयनित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किया जा सकेगा। विगत वर्ष के लंबित दायित्व का भुगतान भी किया जा सकेगा। **वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित बजटीय उपबंध रू. 2500.00 लाख है।**

**v. Agro Forestry-** इस योजनान्तर्गत agro forestry, Medicinal and aromatic plants की गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री के उत्पादन हेतु नर्सरी की स्थापना की जाएगी। साथ ही हर्बो-एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम के लिए औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती के लिए कृषकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। विगत वर्ष के लंबित दायित्व का भुगतान भी किया जा सकेगा। **वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित बजटीय उपबंध रू. 416.66 लाख है।**

**vi. परम्परागत कृषि विकास योजना (पी0के0वि0वाई0)-** परम्परागत कृषि विकास योजना (पी0के0वि0वाई0) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत भारत सरकार के PGS के मार्गनिदेशिका में निहित शर्तों के आलोक में योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जैविक खेती को अपनाकर रासायनिक खेती को खत्म करते हुये जैविक खेती को बढ़ावा देना है तथा कृषकों की आय को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। **वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित बजटीय उपबंध रू. 1042.00 लाख है।**

**vii. MIDH-National Horticulture Mission -** वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना अन्तर्गत बड़ी एवं छोटी नर्सरी की स्थापना, नये फलबाग-आम, अमरूद, नीबू, आँवला, ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो एवं काजू का क्षेत्र विस्तार, फूलों की खेती, सब्जी एवं मसाला की खेती, लेमनग्रास की खेती, सब्जी मशरूम की खेती अन्तर्गत उत्पादन इकाई, स्पॉन निर्माण इकाई एवं कम्पोस्ट निर्माण इकाई की स्थापना, मानव संसाधन विकास अंतर्गत किसानों का राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर प्रशिक्षण, इन्टीग्रेटेड पैक हाऊस का निर्माण, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, मिनिमल प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना, पक्वन कक्ष, पॉली हाऊस/ शेहनेट ट्यूबलर हाऊस का निर्माण, एण्टी बर्ड एण्टी हेलनेट, प्लास्टिक मल्टिंग, उद्यानिकी फसलों का अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण, सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस आदि से संबंधित कार्य किये जाने हैं। इस योजना में केन्द्रांश 60 प्रतिशत तथा राज्यांश 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।

**वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्रांश 2636.00 लाख तथा राज्यांश 1757.00लाख, इस प्रकार कुल रू0 4393.00 लाख योजना क्रियान्वयन का प्रस्ताव है।**

**viii. MIDH-National Bamboo Mission** - इस योजना के तहत छोटी नर्सरी की स्थापना, जागरूकता कार्यक्रम विषय पर कृषक/कारीगरों एवं क्षेत्रीय कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने तथा सरकारी/स्थानीय निकाय अथवा निजी जमीन पर बांस रोपण का कार्य का प्रस्ताव है। इस योजना में केन्द्रांश 60 प्रतिशत तथा राज्यांश 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।

**वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्रांश 250.00 लाख तथा राज्यांश 166.66 लाख, इस प्रकार कुल ₹0 416.66 लाख (चार करोड़ सोलह लाख छियासठ हजार) मात्र से योजना क्रियान्वयन का प्रस्ताव है।**

**ix. National Beekeeping & Honey Mission (NBHM)** - भारत सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक तरीके से शहद उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत निधिकरण किया जायेगा। इस योजना अन्तर्गत भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूप मिनी मिशन -1 के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्य अवयव का क्रियान्वयन किये जाने का प्रस्ताव है।

**वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजनान्तर्गत कुल ₹0 250.00 लाख (दो करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र से योजना क्रियान्वयन का प्रस्ताव है।**

**x. National Mission on Natural Farming (NMNF)** - जैविक प्रमाणीकरण की योजना - इस योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग का समाप्त करते हुये जैविक खेती को प्रोत्साहित करना एवं कृषि की लागत को कम करना है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार करना, गुणवत्तापूर्ण एवं ज्यादा पौष्टिक अनाज, फल एवं सब्जियाँ जो ज्यादा समय तक रक्षित रह सके का उत्पादन, कृषि की लागत में कमी, परिणाम स्वरूप कृषकों को ज्यादा आय, बायोमॉस एवं स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुये जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशक का निर्माण एवं उपयोग, फलस्वरूप महंगे रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक के उपयोग से मुक्ति, भूमि, वातावरण एवं जलश्रोतों के प्रदूषण में कमी आदि के उद्देश्य से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। **वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजनान्तर्गत कुल ₹0 833.00 लाख (आठ करोड़ तैंतीस लाख रुपये) मात्र से योजना क्रियान्वयन का प्रस्ताव है।**

**xi. Sub-Mission on Agriculture Mechanisation** - योजनान्तर्गत कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहन देने एवं रोजगार उपलब्ध कराने हेतु चयनित ग्रामों में स्वयं सहायता समूह/Entrepreneurs /Lamps/Pacs के द्वारा कृषि यंत्रों का उपकरण बैंक स्थापित किया जाना, कृषि यंत्रों का प्रत्यक्ष एवं प्रशिक्षण दिया जाना है। **वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजनान्तर्गत कुल ₹0 3175.00 लाख से योजना क्रियान्वयन का प्रस्ताव है।**

**xii. Agricultural Extension KY** - झारखण्ड राज्य में केन्द्र प्रायोजित Agriculture Extension KY के अधीन राज्य स्तर पर समेति एवं मुख्यालय कोषांग तथा जिलास्तर पर राज्य के सभी 24 जिलों में जिलास्तरीय स्वायत्तशासी संस्थान "कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा)" का कार्यान्वयन एवं संचालन किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि प्रणाली में सुधार लाते हुए स्थानीय आवश्यकता एवं स्थानीय परिवेश के अनुकूल किसानोपयोगी कार्यक्रमों को ग्रासरूट स्तर पर लागू करना है, ताकि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में समेकित कृषि प्रणाली को समग्र रूप से लागू किया जा सके। इसके द्वारा कृषकों में निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि, कार्यक्रमों में कृषकों की समुचित भागीदारी, समन्वय एवं एकीकरण को बढ़ावा देना है, ताकि प्रदेश स्तर पर कृषि प्रणाली में प्रौद्योगिकी अन्तर को कम करते हुए कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली तथा दक्षता पूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। इस योजनान्तर्गत राज्यांश से आत्मा कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत कृषक मित्रों को प्रतिमाह अतिरिक्त 500 रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। **वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित बजटीय उपबंध ₹. 9018.00 लाख है।**

**xiii. National Food Security & Nutrition Mission** - इस योजना का मुख्य उद्देश्य Breeder / Foundation एवं Certified (प्रमाणित) बीजों के उत्पादन में वृद्धि लाते हुए राज्य को बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजनान्तर्गत

किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ बीज क्षेत्र को मजबूत बनाने हेतु आवश्यक Seed Infrastructure (Seed Processing Plant/Storage Godown/Seed Testing Lab) को विकसित किया जाएगा। साथ ही धान, मोटे अनाज एवं न्यूट्रीसीरियल अन्तर्गत फसलों के शत प्रतिशत संकुल प्रत्यक्षण का प्रावधान है। समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (INM) तथा समेकित कीट प्रबंधन (IPM), संबंधित उपादान आदि संबंधित जिला के किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। थ्समगप फंड अन्तर्गत फसल चक्र आधारित प्रशिक्षण, किसानों/पदाधिकारियों का प्रशिक्षण, अन्तरराजकीय परिभ्रमण का प्रावधान, दलहनी फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु धान कटाई के उपरांत परती क्षेत्र/अन्य विविधीकरण क्षेत्रों में रबी दलहनी फसलों का शत प्रतिशत अनुदान पर बीज वितरण साथ ही योजना अन्तर्गत राज्य स्तर पर (राज्य परामर्शी, राज्य तकनीकी सहायक) तथा जिला स्तर पर कार्यरत कर्मियों (जिला परामर्शी, जिला तकनीकी सहायक) के मानदेय का भुगतान भी निहित है। INM/IPM उपादान के आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता का चयन निविदा के माध्यम से आपूर्तिकर्ता संस्थानों को सूचीबद्ध करते हुए अथवा दर अनुबंध (rate contract) पर किया जाएगा। **वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित बजटीय उपबंध रू. 3333.33 लाख है।**

**xiv. National Mission on Edible Oil Oilseeds** - केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत तेलहन एवं TRFA - तेलहन (Targeting Rice Fallow Area-Oilseeds) फसल अन्तर्गत तेलहन फसलों हेतु Value Chain Cluster के तहत शत प्रतिशत अनुदान पर प्रमाणित बीज का वितरण एवं शत प्रतिशत ब्लॉक प्रत्यक्षण का प्रावधान है। Post-Harvest Infrastructure for Primary and Secondary Source की स्थापना, Flexi फंड अन्तर्गत Farmers Field School के तहत प्रशिक्षण, किसानों/पदाधिकारियों का प्रशिक्षण, Low Cost Publication, Incentive for Cultivation of Honey bee for farmers FPO/FPC/SHG आदि का प्रावधान है। INM/IPM उपादान के आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता का चयन निविदा के माध्यम से आपूर्तिकर्ता संस्थानों को सूचीबद्ध करते हुए अथवा दर अनुबंध (rate contract) पर किया जाएगा। **वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित बजटीय उपबंध रू. 2500.00 लाख है।**

**XV. Digital Agriculture Mission** - Digital Agriculture Mission दद Digital Crop Survey (DCS) योजना अन्तर्गत किसान की भूमि, खेत के क्षेत्रफल और उगाई गई फसलों का सत्यापन करके ऋण और फसल बीमा जैसी कृषि सेवाओं को किसानों के लिए सुविधाजनक बनाना। लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन में सुधार करना और टिकाऊ कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना। किसानों को व्यक्तिगत सलाह देना, जिससे उन्हें उचित निर्णय लेने में मदद मिले। फसल का सटीक आकलन करना और बेहतर विपणन तथा मूल्य स्थिरीकरण के लिए जमीनी सच्चाई की जानकारी उपलब्ध कराना। भारत में डिजिटल रूप से सक्षम, सुदृढ़ कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, जिससे किसानों और हितधारकों को लाभ हो। इस हेतु आवश्यक Hardware / Software का क्रय एवं PMU hire करने हेतु PMU/Agency का चयन निविदा के माध्यम से आपूर्तिकर्ता संस्थानों को चयनित / सूचीबद्ध करते हुए अथवा दर अनुबंध (rate contract) पर किया जा सकेगा। विगत वर्ष के लंबित दायित्व का भुगतान भी किया जा सकेगा। **वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित बजटीय उपबंध रू. 3542.00 लाख है।**

## नई योजना

**1. Mission for Aatmanirbharta in Pulses (Erstwhile NFSNM - Pulses)** - इस योजना अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित for Aatmanirbharta in Pulses (Erstwhile NFSNM- Pulses) अन्तर्गत फसलों के शतप्रतिशत संकुल प्रत्यक्षण (CFLD & BLD), बीज उत्पादन हेतु किसानों को प्रोत्साहन, 50 प्रतिशत अनुदान पर बीज वितरण एवं Area expansion के तहत बीज मिनीकीट के वितरण का प्रावधान है। किसानों के क्षमतावर्धन हेतु प्रशिक्षण, Post- Harvest infrastructure (Processing units) FPOS/ CLFs/PACs/ Individuals are engaged in pulse production.

### उद्देश्य

- दलहनी फसलों पर विशेष ध्यान देते हुए दलहन उत्पादन में वृद्धि करना।
- किसानों के लिए जलवायु अनुकूल बीजों के उत्पादन और उपलब्धता को बढ़ावा देना। दलहन की खेती अन्तर्गत क्षेत्रफल बढ़ाना।

- कटाई के उपरांत भंडारण और प्रबंधन को बढ़ावा देना ।

**इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रू. 4500.00 लाख का बजटीय प्रस्तावित है।**

## **2. मखाना विकास योजना**

मखाना (फॉक्सनट) एक उच्च मूल्य एवं पौष्टिक जलीय फसल है जिसकी घरेलू तथा निर्यात बाजार में व्यापक मांग है। मखाना विकास हेतु विशेष योजना का उद्देश्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना, कटाई उपरांत प्रसंस्करण में सुधार करना, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना तथा किसानों/ उद्यमियों को बाजार से जोड़ना है।

योजना के अंतर्गत उपयुक्त तालाबों / जलाशयों में क्षेत्र विस्तार, गुणवत्तायुक्त बीज/रोपण सामग्री की उपलब्धता, किसानों का प्रशिक्षण, वैज्ञानिक तकनीकों का प्रचार तथा फसल प्रबंधन हेतु तकनीकी सहयोग दिया जाता है। साथ ही, सुखाने के प्लेटफॉर्म, ग्रेडिंग, भंडारण, पैकेजिंग एवं प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना तथा ब्रांडिंग और विपणन हेतु सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना ग्रामीण रोजगार सृजन, कृषकों की आय वृद्धि तथा मखाना को लाभकारी कृषि उद्योग के रूप में विकसित करने में सहायक होगी। है।

**इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रू. 417.00 लाख का बजटीय प्रस्तावित है।**